

स्वकर निर्धारण प्रपत्र

नगर निगम रुद्रपुर - ऊधम सिंह नगर

सन्देश

'सम्पत्ति कर स्व निर्धारण पुस्तिका' नगर निगम रुद्रपुर के नागरिकों को समर्पित करते हुये हमें दिली प्रसन्नता हो रही है। उक्त व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप किसी आवासीय भवन के स्वामी / अध्यासी को अपनी सम्पत्ति पर देय भवन कर स्वयं निर्धारित करने तथा उसकी अदायगी के लिये सुविधा होगी। अब यह विकल्प सभी नगरवासियों के लिये उपलब्ध हैं कि वे अपने आवासीय भवन कर की स्वयं माप करें। क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गफिट मासिक किराया के अनुसार भवन कर की गणना करें तथा निर्धारित प्रारूप के प्रपत्र -क पर भवन की माप का ब्यौरा अकिंत करके भवन कर पुवम् आकलित कर नगर निगम कार्यालय में अथवा नगर निगम द्वारा अधिकृत बैंक में निर्धारित चालान भरकर स्वयं ही जमा कर दें। अब नगर निगम द्वारा भवन कर आरोपित केवल उसी दशा में किया जायेगा जब भवन स्वामी स्व-कर निर्धारण के विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा अथवा गलत निर्धारित करेगा। उक्त प्रणाली वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू की जा रही है।

स्व-कर निर्धारण से संबंधित सूचनायें संलग्न पुस्तिका के रूप में संकलित कर प्रकाशित की जा रही है। आशा है कि यह पुस्तिका नागरिकों के लिये भवन कर स्वयं निर्धारित करने में अति उपयोगी / सहायक सिद्ध होगी। तथा उनकी जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान करेगी। हमें आशा है कि सभी नागरिक 'स्व-कर निर्धारण' का भरपूर उपयोग करेंगे और लाभान्वित होंगे। यदि स्व-कर निर्धारण के विकल्प के उपयोग में कोई कठिनाई या जिज्ञासा हो तो उसके समाधान हेतु नगर निगम कार्यालय के कर अनुभाग में आपका स्वागत है।

श्री जय भारत सिंह
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर

समस्त पार्षदगण
नगर निगम रुद्रपुर

श्री रामपाल सिंह
मेयर
नगर निगम रुद्रपुर

नगर निगम रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

फोन : 05944-242400

भवन कर वार्षिक मूल्यांकन हेतु उदाहरण (कैसे अंकित करें)

वार्ड का नाम-जैसे शिवनगर

भवन का प्रकार-पक्का, आर0सी0सी0 छत, 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क

17 वर्ष पुराना भवन

(क) रूम 10'x10'		(ख) रूम 10'x12'	
बाथरूम 5'x4'	(ग) लॉबी/रूम 10'x10'	(घ) किचन 7'x10'	
लैट्री 3'x4'			
(ड.) गैराज 10'x10'		(च) बरामदा 10'x12'	

यदि भवन स्वयं आवास हेतु

1. समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
	10'x10'	10'x12'	10'x10'	10' x 12' = 440 वर्ग फिट (अ)
2. समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और गृह का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)	(घ)			
	7' x 10' = 70 वर्ग फिट (ब)			
3. समस्त गैराज का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)	(ड.)			
	10' x 10' = 100 वर्ग फिट (स)			

टिप्पणी-स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फुट कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

1. स्वयं आवासीय भवन हेतु कारपेट एरिया।

$$\begin{array}{ccccccc}
 & (अ) & & (ब) & & (स) & & (ड) \\
 & = 440 & + & 70/2 & + & 100/4 & = & 500
 \end{array}$$

अतः आवासीय भवन का वार्षिक मूल्य $500 \times 0.50 \times 12 = 3000$ (शिवनगर का प्रतिवर्ग फुट दर 0.50 है) क्योंकि भवन 17 वर्ष यानि (10 वर्ष से 20 वर्ष पुराना है।) अतः वार्षिक मूल्यांकन पर 32.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिसका उदाहरण निम्नवत है-

$$\text{अतः छूट} = 3000 \times 32.5\% / 100 = 975.00$$

$$\text{अतः वार्षिक मूल्यांकन} = 3000 - 975 = 2025.00$$

$$\text{अतः भवन कर} = 2025 \times 10\% = 202.50 \text{ पैसे}$$

प्रारूप - क
सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 207 क)

फार्म का क्रमांक
23151
मूल्य 10 रु०

(क)

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (4) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (5) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....
- (6) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (7) भवन स्वामी का ई-मेल पता.....मो० नं०.....
- (8) निगम द्वारा पूर्व से आवंटित भवन नं० दर्ज करें.....

टिप्पणी-1- जिन्हे नगर निगम द्वारा कोई भवन नं० आवंटित नहीं है। 'नया मकान' दर्ज करें तथा संबंधित अभिलेख व चौहद्दी का विवरण संलग्न करें-
पूर्व में.....पश्चिम में.....

उत्तर में.....दक्षिण में.....

(ख) निम्नलिखित भवन संबंधी ब्यौरा।

		स्वयं आवास (1)	आवास किराये पर (2)
एक	समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)		
दो	समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)		
तीन	समस्त गैराज का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)		

टिप्पणी-स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

(ग) भवन का कारपेट एरिया-(ख) का विवरण क्षेत्रफल आंकलन हेतु।

		स्वयं आवास (1)	आवास किराये पर (2)
1	कमरे का पूर्ण माप		
2	समस्त कारीडोर, रसोई, भण्डारगृह का 1/2 भाग		
3	गैराज का कुल आंतरिक आयाम का 1/4 भाग		
4	कुल क्षेत्रफल = 1+2 का 1/2 भाग + 3 का 1/4 भाग।		

(घ) -

1. भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्गफुट में).....
2. भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्गफुट में).....

(ड.)-

टिप्पणी- कृपया के (क), (ख) या (ग) के खाने में जो भी लागू हो में सही (✓) का निशान लगायें।

(क) भवन की अवस्थिति है-

(1) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

☐

(2) 12 मीटर से 24 मीटर की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

☐

(3) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति -

(1) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित:-

☐

(2) अन्य पक्का भवन :-

☐

(3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (1) और (2) में आच्छादित नहीं हैं :-

☐

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थिति है-

(1) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

☐

(2) 12 मीटर से 24 मीटर की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

☐

(3) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

☐

(घ) - भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर या स्वयं एवम् किरायेदार के साथ संयुक्तरूप से निवासरत हैं कृपया उल्लेख करें-.....

टिप्पणी- यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी मालिक द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि समय से खाली है तो उसे खाली 'उल्लेखित' किया जायेगा।

(ङ) - भवन के निर्माण का वर्ष.....

(ज) - (1) जिलाधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिए वार्डवार/क्षेत्रवार निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपया.....प्रति वर्गफुट है।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भूमि के लिए वार्डवार/क्षेत्रवार निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो, रुपया.....प्रति वर्गफुट है।

1	स्वयं आवासीय भवन का वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया वर्गफुट में X जिलाधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर X 12 =	भवन का वार्षिक मूल्य	(अ) धारा 174 (2) (क) के अनुसार छूट के बाद पृष्ठ सं. 10 पर देखें =
2	किराये पर भवन का वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया वर्गफुट में X जिलाधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर X 12 =	भवन का वार्षिक मूल्य	(ब) धारा 174 (2) (ख) के अनुसार वृद्धि के बाद पृष्ठ सं. 10 पर देखें =
	कुल वार्षिक मूल्य स = अ+ब		(स) =
3	भूमि का वार्षिक मूल्य यदि उसमें कोई भवन निर्मित न हो = घ 2 X ज 2 X 12 =	भूमि का वार्षिक मूल्यांकन	=

(झ)- भवन का वार्षिक कर :-

(क) भवन का देय कर = (ज,1) में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) X कर की दर (10%) /100 =

(ख) भूमि का देय कर (यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो)

= (ज,2) में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) X कर की दर (10%) /100 =

(ग) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक.....

(घ)-

(1) नगर निगम बैंक एकाउन्ट संख्या.....

(2) बैंक शाखा का नाम व पता.....

सम्पूर्ण विवरण हेतु नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur में देखें।

(ड.) जमा किये गये कर का विवरण-

क्रम सं.	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
1.	सामान्य कर/ भवन कर				

संगणक

(1) खतौनी, विक्रयपत्र, दानपत्र, पटामिलेख, वारिसान प्रमाण-पत्र आदि की छायाप्रति.....

(2) विहित प्राधिकारी नगर मजिस्ट्रेट या अधिकृत संस्थान द्वारा जारी मानचित्र की छायाप्रति.....

(3) भवन का सबसे पुराने विद्युत बिल/गृहकर रसीद/पानी का बिल या अन्य प्रमाण आदि, भवन की आयु की गणना हेतु।

टिप्पणी-

1. भरे गये प्रपत्रों की जांच में यदि विवरण सही नहीं पाया गया तो देय कर के अन्तर का चारगुना शास्ति के रूप में आरोपित किया जायेगा।

2. उक्त कर निर्धारण से भूमि का मालिकाना हक अप्रभावित रहेगा।

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि स्वसूच्याकन विवरण में प्रस्तुत किये गये धारे, जाहें तक मेरी जानकारी में है ठीक और पूर्ण हैं।

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

अध्यासी/भवनस्वामी

हस्ताक्षर

का नाम

पता -

नाम

पति/पिता/भ्राता का नाम

पूर पता

अभिलेखीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र क प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या
- (4) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता
- (5) स्वामी / अध्यासी का अस्थादी पता
- (6) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

कर विधिक/कर समारहता/अधिकृत कर्मचारी

कर निरीक्षक

कर अधीक्षक

सहायक/अपनगर आयुक्त

नगर आयुक्त

नगर निगम, रुद्रपुर

नगर निगम, रुद्रपुर

नगर निगम, रुद्रपुर

नगर निगम, रुद्रपुर

प्रपत्र-ख (नियत-3 देखें)

नोट प्रपत्र-ख तभी भरा जायेगा जब भवन स्वामी / अध्यासी नया विवरण प्रस्तुत करना चाहे या भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र या दोनों में कोई परिवर्तन या कमी की जाती है, तो इसके तीन माह के भीतर यथा स्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र-ख में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आभाषक होगा।

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (4) स्वामी / अध्यासी का अध्यायी पता.....
- (5) स्वामी / अध्यासी का स्वामी पता.....
- (6) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (7) भवन स्वामी का ई-मेल पता.....मो0 नं0.....

टिप्पणी-1- जिनका भवन नगर निगम में दर्ज नहीं है 'नया मकान' दर्ज करें तथा संबंधित अभिलेख व धौददी का विवरण संलग्न करें-
पूर्व में.....परिधम में.....

उत्तर में.....दक्षिण में.....

(ख) निम्नलिखित भवन संबंधी द्याया।

	स्वर आवास (1)	आवास विवरण पर (2)
एक	समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)	
दो	समस्त बालकनी, कलरिबोर, रस्ते और भण्डार गृह का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)	
तीन	समस्त गैरवज का आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)	

टिप्पणी-स्नानगृह, शौचालय, पोटिको और छीने द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फुट कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

- (ज) 1- भवन का कारपेट एरिया-(ख-एक (1)) + (ख-दो (1)) का 1/2 भाग + (ख-तीन (1)) का 1/4 भाग =
2- आवासीय किचन के भवन का कारपेट एरिया-(ख-एक (1)) + (ख-दो (1)) का 1/2 भाग + (ख-तीन (1)) का 1/4 भाग =

(घ) -

- 1- भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्गफुट में).....
- 2- भूमि का क्षेत्रफल, जिस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्गफुट में).....

(ड.)-

टिप्पणी- कृपया (क), (ख) या (ग) के खाने में जो भी लागू हो में सही (✓) का निशान लगायें।

(क) भवन की अवस्थिति है-

- (1) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर :-
- (2) 12 मीटर से 24 मीटर की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-
- (3) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति -

- (1) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित:-
- (2) अन्य पक्का भवन :-
- (3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (1) और (2) में आच्छादित नहीं हैं :-

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है-

- (1) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर :-
- (2) 12 मीटर से 24 मीटर की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-
- (3) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर :-

(घ) - भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है या स्वयं एवम् किरायेदार के साथ संयुक्तरूप से निवासरत है कृपया उल्लेख करें-.....

टिप्पणी- यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी मालिक द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि समय से खाली है तो उसे खाली 'उल्लेखित' किया जायेगा।

(छ) - भवन के निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे, जहां तक मेरी जानकारी में है विवरण ठीक हैं और पूर्ण हैं।

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पति/पिता/माता का नाम.....

पूरा पता.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र क प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

(1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....

(2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(3) भवन / भूखण्ड संख्या.....

(4) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....

(5) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....

(6) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

नाम.....

कर लिपिक/कर समाहर्ता/अधिकृत कर्मचारी

कर निरीक्षक
नगर निगम, रुद्रपुर

कर अधीक्षक
नगर निगम, रुद्रपुर

सहायक नगर अधिकारी
नगर निगम, रुद्रपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर

कैसे करें स्वकर निर्धारण

1- भवन की आंतरिक माप (कारपेट एरिया) जिसकी गणना की जायेगी।

(क) कुल कमरों का कारपेट एरिया का सम्पूर्ण भाग।

(ख) कीचन, बालकनी, कारीडोर, के कारपेट एरिया का $1/2$ (आधा) भाग।

(ग) गैराज का कुल कारपेट एरिया का $1/4$ (एक चौथाई) भाग।

(घ) कबर्ड बरामदे के कारपेट एरिया का पूर्ण भाग।

2- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

3- कर गणना

कुल कारपेट एरिया (वर्गफुट में) $\times$ मासिक दर प्रति फिट $\times 12$ = वार्षिक मूल्यांकन।

4- छूट की गणना- उपरोक्तनुसार प्राप्त वार्षिक मूल्यांकन पर निम्नानुसार छूट देय होगी।

स्ययं अध्यासित होने की स्थिति में धारा 174 (2-क) के अन्तर्गत (भवन निर्माण की अवधि के अनुसार छूट %)

(क) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष की अवधि से अधिक पुराना नहीं होता है तो 25 प्रतिशत।

(ख) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष से 20 वर्ष से कम तक 32.5 प्रतिशत।

(ग) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 20 वर्ष की अवधि से अधिक पुराना तो 40 प्रतिशत।

5- किराये पर उठाये गये आवासीय भवन के मामले में अवधारित वार्षिक मूल्यांकन पर निम्नानुसार कर देय होगा।

धारा 174 (2-क) के अनुसार।

(क) यदि भवन 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।

(ख) यदि भवन 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।

(ग) यदि भवन 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

रसीद

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (4) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (5) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....
- (6) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- भवन संख्या.....का स्वकर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी / अध्यासी श्रीके द्वारा भवन का क्षेत्रफल/कारपेट एरिया.....प्रस्तुत किया गया जो वार्ड सं.....मो0में स्थित है स्वकर प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक.....पर दर्ज है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

रसीद

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (4) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (5) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....
- (6) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- भवन संख्या.....का स्वकर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी / अध्यासी श्रीके द्वारा भवन का क्षेत्रफल/कारपेट एरिया.....प्रस्तुत किया गया जो वार्ड सं.....मो0में स्थित है स्वकर प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक.....पर दर्ज है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

निर्धारित दर समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर प्रतिवर्ग फुट प्रति माह

[illegible]

क्र. सं.	वार्ड का नाम	पक्का मकान आर. सी. सी./आर. बी. छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन ना बना हो।		
		12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 मी0 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 मी0 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 मी0 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 मी0 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	C	0.70	0.75	0.85	0.50	0.65	0.70	0.40	0.50	0.60	0.25	0.30	0.50
	खेड़ा नया												
	सुभाष कालोनी												
	ट्रेनिंग सेन्टर												
	नवोदय विद्यालय												
	भूत बंगला												
	ट्रांजिट कैम्प												
	पहाड़ गंज												
	दूधिया नगर												
	जगतपुरा												
5	D	0.60	0.65	0.75	0.50	0.65	0.70	0.40	0.50	0.60	0.25	0.35	0.50
	खेड़ा पुराना												
	संजय नगर												
	भदईपुरा												
	रम्पुरा												
	रम्पुरा पूर्वी, प0, मध्य												
6	D-1	0.50	0.55	0.60	0.50	0.65	0.70	0.40	0.50	0.60	0.25	0.35	0.50
	शिव नगर												

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर

मेयर
नगर निगम, रुद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर